न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 19/प्रा0पत्र/19
शंकर सिंह बनाम सरकार

अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्र0सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2019 थाना गंगधार
प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6(ई) आवश्यक वस्तु अधिनियम बाबत्
सुपुर्दगी वाहन ट्रेक्टर न0 एम पी 13 ए बी 2333 मय ट्राली

21/5/19 प्रा0पत्र पेश पेरोकार रसद व अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित है। थाना गंगधार से केस डायरी प्राप्त। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना गंगधार द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थी का वाहन ट्रेक्टर नम्बर एमपी 13 ए बी 2333 मय ट्राली को जप्त किया हुआ है। पूर्व में उक्त ट्रेक्टर नम्बर एमपी 13 ए बी 2333 मय ट्राली को सुपुर्दगी में लेने बाबत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 Crpc के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा 12/प्रा0पत्र/19 दर्ज कर 451 Crpc Disposal of property pending trial cases में क्रिमिनल कोर्ट को ही अधिकार होने से प्रा0पत्र दिनांक 08.03.2019 को खारिज किया गया था, उक्त आदेश की निगरानी माननीय सैशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने पर निगरानी खारिज की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ के दिनांक 08.03.2019 को पारित आदेश की पुष्टि की गई है। पुनः प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6(ई) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाहन ट्रेक्टर नम्बर एमपी 13 ए बी 2333 मय ट्राली को सुपुर्दगी में देने का अनुरोध किया गया है।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार रसद द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 12/प्रा0पत्र/19 निर्णय दिनांक 08.03.2019 को सही बताया इस पर अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वाहन को सुपुर्दगी में देने का अनुरोध किया गया। हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना गंगधार में दर्ज प्राथमिकी 37/2019 के परिणाम स्वरूप जब्त है। उक्तानुसार प्रकरण न्यायालय हाजा में पेण्डिंग नही है व जिस विशेष माननीय अदालत के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है उक्त माननीय न्यायालय को जप्तशुदा वाहन की अनुंसधान में आवश्यकता होने से इन्कार नही किया जा सकता (विद्वान मजिस्ट्रेट जो कि विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम भी है)। इस क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 खंड 6क और 6ड में स्पष्ट किया गया है '' विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर को जब्त किए माल को रिहा करने का अधिकार नही है''। उपरोक्त विवेचन से प्रा0पत्र के माध्यम से वाहन सुपुर्दगी बाबत अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

103/21/5/19
17-6-19
P. S. गंगधार

जिला कलक्टर
झालावाड़